



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

उत्संसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, (1997 का क्रमांक 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय,
[A Central University established by Parliament by Act No. 1996 (3 of 1997)]

कादर नवाज़ खान

KADAR NAWAZ KHAN

कार्यकारी कुलसचिव

ACTING REGISTRAR

दूरभाष/Phone: +91 7152 230902

फैक्स/Fax: +91 7152 230903

पत्रांक: 003 / 2003 / का.आ. / 02-140/2021

दिनांक : 29.07.2021

सूचना

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 29 जुलाई 2021 को सायं 04.30 बजे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सजीव प्रसारण विश्वविद्यालय के कस्तूरबा सभागार से किया जायेगा।

उक्त कार्यक्रम में निर्धारित समय से 05 मिनट पूर्व आपकी उपस्थिति कस्तूरबा सभागार में अपेक्षित है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
कार्यकारी कुलसचिव
29/07/21

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त शिक्षकगण

प्रतिलिपि,

1. माननीय कुलपति कार्यालय
2. माननीय प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. लीला प्रभारी (कस्तूरबा सभागार में आवश्यक व्यवस्था तथा सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु)
4. संबंधित पत्रावली